कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 325/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-फूलपुरः-किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 28-06-2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 27.06.2025 को रात समय करीब 2:00 बजे वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अजय पुत्र स्व जलांधर निवासी ग्राम मानपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 07.09.2025 को उ0नि0 दयानन्द मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजय पुत्र स्व जलांधर निवासी ग्राम मानपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को खुराशन रेलवे स्टेशन कस्बा फूलपुर से समय करीब 12-55 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अजय पुत्र स्व जलांधर निवासी ग्राम मानपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-318/25 धारा 137(2) /87/65(1) बीएनएस ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1-उ0नि0 दयानन्द थाना फूलपुर आजमगढ़

2-का0 सौरभ यादव थाना फूलपुर आजमगढ़

02.थाना रौनापारः- युवती को अगवा करने व दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 23.02.2025 को वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय करीब 19.00 बजे वादिनी की नाबालिग पुत्री को विपक्षीगण 1. सुशीला पत्नी जोखन 2. सुधा पत्नी शैलेश यादव 3. शिल्पा पुत्री दुर्गेश 4. शैलेष यादव पुत्र जोखन निवासीगण अजगरा मसर्की रौनापार आजमगढ द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके अन्यत्र जगह ले जाकर एक माह अज्ञात स्थान पर रखने तथा शैलेष यादव द्वारा बलात्कार करने तथा एक महीने बाद दीपक पुत्र राजबीर निवासी खेरी करमू जनपद शामली उ0प्र0 के घर पर पहुचा देने तथा दीपक द्वारा यह कहते हुए बलात्कार करना कि उसको पैसे पर खरीदा है। दीपक पुत्र राजबीर व राजबीर पुत्र अज्ञात द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 275/2025 धारा 123,137(2),127(2),64,352,351(3),61(2) बीएनएस 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम 1. सुशीला पत्नी जोखन 2. सुधा देवी पत्नी शैलेश यादव 3. शिल्पा पुत्री दुर्गेश 4. शैलेष यादव पुत्र जोखन निवासीगण आराजी अजगरा मसर्की थाना रौनापार जनपद आजमगढ 5. दीपक पुत्र राजबीर 6. राजबीर पुत्र अज्ञात निवासीगण खेरी करमू जनपद शामली उ0प्र0 पिन कोड नम्बर 247776 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/143 बीएनस व 5(ठ)/6 पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया तथा धारा 3/4(2) पास्को एक्ट का लोप किया गया। अब उपरोक्त मुकदमे की अग्रिम विवेचना धारा 123/137(2)/127(2)/64/352/351(3)/61(2)/87/143 बीएनएस व 5(ठ)/6 पास्को एक्ट में की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 07.09.2025 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1- अभियुक्त दीपक पांचाल पुत्र राजवीर पांचाल निवासी खेरीकरमू थाना कोतवाली जनपद शामली उम्र 23 वर्ष 2. अभियुक्ता शिल्पा यादव पुत्री दुर्गेश यादव निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 18 वर्ष को ग्राम भैसाड़ पुलिया थाना रौनापार से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 275/25 धारा 123/137(2)/127(2)/64/352/351(3)/61(2)/87/143 बीएनएस व 5(ठ)/6 पास्को एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. दीपक पांचाल पुत्र राजवीर पांचाल निवासी खेरीकरमू थाना कोतवाली जनपद शामली उम्र 23 वर्ष
2. अभियुक्ता शिल्पा यादव पुत्री दुर्गेश यादव निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष मन्तोष सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 विकास कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. म0का0 रागिनी सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

आबकारी टीम व थाना कंधरापुर की सयुक्त टीम द्वारा कुल अवैध विदेशी मदिरा 21.6 ब0ली0 तथा 7700 रूपये नगद के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण-

दिनांक 06/07.09.2025 को प्रभु नरायण सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 सदर, आजमग अपने अधीनस्थ के साथ अवैध मदिरा के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री की रोकथाम हेतु अपने अपराध निरोधक क्षेत्र में मामूर थे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जब हम जुनैदगंज चौराहे पर पहुँचे थे तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि आजमपुर स्थित कम्पोजिट मदिरा के दुकान में तनुकृत एवं गतवर्ष की बिक्री हेतु अनुमन्य शराब कि ब्रिक्री की जा रही है। यदि जल्दी छापे मारी की जाय तो अवैध शराब की बरामदगी हो जायेगी। मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करते हुए हम लोग आजमपुर कम्पोजिट दुकान पर पहुँचकर हम आबकारी टीम को दुकान में दो व्यक्ति बतौर विक्रेता मौजूद मिले, दोनों विक्रेताओं से दुकान के सम्बन्धित दस्दाबेज मांगा गया तो बिक्रेताओं द्वारा निकासी पास एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुज्ञापन प्रस्तुत नही किया गया । दोनों बिक्रेताओं की उपस्थिति में दुकान में संचित विदेशी मदिरा एवं बीयर के स्टाक का गहनता से परीक्षण किया गया। परिक्षण के दौरान दुकान के अन्दर रखे लकड़ी के तख्ते के नीचे एक पेटी में आइकोनिक ह्वाइट ग्रेन विस्की ब्राण्ड विदेशी मदिरा के 15 अदद पौवे पाये गये, इन सभी पौवों की धारिता 180 मिली एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है, इन 15 पौवों में से रैण्डम आधार पर दो पौवों की मदिरा का एल्कोहलो मीटर(ANTON PAAR) से मौके पर परीक्षण किया गया जिसमें इन पौवों की तीब्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी के स्थान पर 35.13 प्रतिशत वी/वी पायी गयी। इन सभी संदिग्ध पौवों के बारे में मौजूद विक्रेताओं से पूछ-ताछ की गयी तो घबड़ाकर हाथ जोड़कर माफी माँगने लगे एवं विक्रेता द्वारा बताया कि साहब हम दुकान के अनुज्ञापी रूदल यादव के कहने पर शराब में पानी मिलाते है एवं इस दुकान के माध्यम से बेचकर इसका लाभ आपस में बांट लेते है। तत्पश्चात दुकान में संचित मदिरा के स्टाक में लकड़ी के तख्ते के नीचे तीन अन्य पेटियां रखी हुई पायी गयी, जिनमें एक पेटी में 35 अदद पेट पौवे सिगनेचर प्रीमियर ब्राण्ड प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0 एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है के रखे पाये गये, दूसरी पेटी में 31 अदद पौवे मैक्डावल नं01 ब्राण्ड प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0 एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है के रखे पाये गये, तीसरी पेटी में 39 अदद पौवे रायल स्टैग ब्राण्ड प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0 एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है के रखे पाये गये। जब इन सभी पौवों पर चस्पा क्यू0आर0कोड का आबकारी विभाग के अधिकारिक एप से परीक्षण किया गया तो यह सभी पौवे विगत वर्ष 2024-25 हेतु विदेशी मदिरा दुकान रोडवेज पर बिक्री हेतु अनुमन्य पाये गये। इन तीनो पेटियों में रखी बरामदशुदा विगत वर्ष की अवैध शराब के बारे में मौजूद विक्रेताओं से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस शराब को दुकान के अनुज्ञापी रूदल यादव लाकर देते है जिसे हम दोनों से अपनी कम्पोजिट दुकान आजमपुर के माध्यम से बिक्री करवाते है। दोनों विक्रेताओं से उनका नाम व पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम शशिकान्त यादव उर्फ जगनू पुत्र धरमदेव यादव, निवासी-ग्राम-खानपुर भगतपट्टी, थाना-बिलरियागंज आजमग एवं दूसरे ने अपना नाम राजेन्द्र पाल पुत्र नरेश पाल, निवासी ग्राम-बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ बताया गया। दोनों विक्रेताओं की नियमानुसार जामातलाशी ली गयी। कम्पोजिट शाप आजमपुर के काउन्टर के दराज से शराब बिक्री के कुल रू0 7700/- (सात हजार सात सौ मात्र) नगद बरामद किये गये। अपनी कम्पोजिट शाप आजमपुर वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापी रूदल यादव पुत्र स्व0 बदरी यादव एवं दोनों विक्रेताओं शशिकान्त यादव व राजेन्द्र पाल द्वारा तनुकृत मदिरा की बिक्री एवं विगत वर्ष की मदिरा जो वर्तमान वर्ष हेतु नान ड्यूटी पेड है की बिक्री करने सम्बन्धी कृत्य धारा-60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 व धारा-318/274 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर मौजूद विक्रेताओं को उनके द्वारा कारित अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 13.30 बजे हिरासत में लिया गया। संचित वैध मदिरा स्टाक को कब्जे में नही लिया गया एवं दुकान मे संचित वैध मदिरा के स्टाक को विक्रेताओं से दुकान को बन्द कराकर ताला लगवाया गया एवं चाबी उन्हें सुपुर्द की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। कार्यवाही दौरान थानाध्यक्ष कन्धरापुर को सुचित किया गया उनके द्वारा का0 विनय कुमार को मौके पर भेजा गया जो सम्पूर्ण कार्यवाही में शामिल रहें। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरणः-

1. शशिकान्त यादव उर्फ जगनू पुत्र धरमदेव यादव निवासी खानपुर भगतपट्टी, थाना-बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष
2. राजेन्द्र पाल पुत्र नरेश पाल, निवासी बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 52 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. 15अदद तनुकृत आइकोनिक हवाइट ब्राण्ड (ग्रेन व्हिस्की) विदेशी मदिरा के पौवा प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0,

02. 35 अदद सिगनेचर प्रीमियर ब्राण्ड विदेशी मदिरा के पेट पौवा जिसमें प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0

03. 39 अदद रायल स्टैग ब्राण्ड विदेशी मदिरा के पौवा जिसमें प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0

04. 31 अदद मैकडावल नं01 ब्राण्ड विदेशी मदिरा के पेट पौवा जिसमें प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0

(कुल अवैध विदेशी मदिरा 21.6 ब0ली0)

05. जमातलाशी के कुल 7700 रुपया नगद बरामद

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 278/2025 धारा 60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 व धारा-274/318 बी0एन0एस0

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. श्री प्रभु नरायण सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 सदर, आजमगढ
2. श्रवण कुमार यादव प्र0 आ0 सि0 क्षेत्र-1 सदर, आजमगढ
3. राजेश कुमार गौतम प्र0 आ0 सि0 क्षेत्र-1 सदर, आजमगढ
4. धीरज कुमार सिह आ0 सि0 क्षेत्र-1 सदर, आजमगढ
5. का0 विनय कुमार थाना कन्धरापुर , आजमगढ़